POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

लेकिन कुछ वर्षों से कोरोना महामारी से उपजी अनेक चुनौतियों के चलते इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कई योजनाओं के जरिये इस क्षेत्र को राहत पहुंचाने के उपाय किए गए हैं।

इनके अलावा हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के लिए 6062.45 करोड़ रुपए की 'रैम्प' योजना की शुरूआत की है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। इससे छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना राज्यों में नए व्यवसायों, उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। इससे 6.3 करोड़ उद्यम लाभान्वित होंगे।

अमुमन यह देखा गया है, केंद्र द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को आवंटित राशि का पारदर्शिता और आंतरिक निगरानी तंत्र की कमी के कारण समय पर सही व समुचित उपयोग नहीं होता। इस पर नियंत्रण एवं निगरानी के लिए अलग से स्वतंत्र संस्थान विकसित करना और सुनवाई व शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।

साथ ही मैं, एमएसएमई के लिए बनाई गई योजनाओं में सुझाव लेना और इन योजनाओं का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका फीडबैक लेना भी आवश्यक है।

उपभोक्ता हित में सरकार ला रही है 'राइट टु रिपेयर' कानून

केंद्र सरकार 'राइट टु रिपेयर' कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश में 'राइट टु रिपेयर' फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कानून के आने के बाद कंपनी ग्राहक के पुराने सामान की मरम्मत से इनकार नहीं कर सकती। कंपनी यह भी नहीं कह सकेगी कि सामान पुराना हो गया है। अर्थात कंपनी ग्राहकों को नया सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

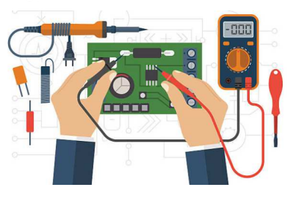

राइट टु रिपेयर में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, टेलीविजन जैसे टिकाऊ उपकरण तथा कार के स्पेयर पार्टस से लेकर किसानों के कृषि उपकरण भी इस कानून के दायरे में आएंगे। अगर किसी उपभोक्ता का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, टेलीविजन और कार जैसा कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो उस कंपनी का सर्विस सेंटर यह कहकर रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकता कि पार्ट पुराना है और उसे बनाया नहीं जा सकता। कंपनी को वह पार्ट बदलकर देना होगा।

नए कानून के बाद पुराने पुर्जों को बदल कर आपके खराब सामान को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। दरअसल, कंपनियां किसी उत्पाद के नए माडॅल या अपना कोई अन्य उत्पाद बेचने के लिए यह रणनीति अपनाती है और पुराने उत्पाद की रिपेयरिंग से मना कर देती है। इस कानून से उपभोक्ताओं को रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से बिना जरूरत नए उत्पाद खरीदने से मुक्ति मिलेगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट में भी भारी कमी आएगी।

फाइनेंस कंपनी ने नहीं लौटाए दस्तावेज-अब देना होगा हर्जाना

जयपुर स्थित विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (वीकेआइ) निवासी अरविंद कुमार शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस लि. कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया। दर्ज परिवाद में आयोग को बताया कि उन्होंने उक्त फाइनेंस कंपनी से ऋण लिया था। ऋण लेने के दौरान उन्होंने फाइनेंस कंपनी के पास आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराए थे। उन्होंने सम्पूर्ण ऋण राशि जमा कराने के बाद फाइनेंस कंपनी से जमा कराए गए सभी दस्तावेज वापस मांगे। लेकिन उन्हें रजिस्टर्ड सेल डीड सहित कुछ अन्य दस्तावेज नहीं लौटाए गए। इस बाबत उन्होंने कंपनी को विधिक नोटिस भी दिया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उपभोक्ता आयोग द्वारा भी नोटिस जारी किया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला।

इस पर उपभोक्ता आयोग ने परिवाद के साथ पेश दस्तावेज एवं शपथ-पत्र के आधार पर माना कि कंपनी ने पूरे दस्तावेज नहीं लौटाए, जो कि सेवादोष एवं अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस की श्रेणी में आता है। आयोग ने हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस लि. कंपनी को आदेश दिया कि वह अरविंद कुमार शर्मा को हुए मानसिक संताप के हर्जाने स्वरूप एक लाख 50 हजार रुपए और परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए एक माह की अवधि के भीतर अदा करें।

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उद्यमी भारत' प्रोग्राम के दौरान 6062.45 करोड़ रुपए की 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस (रैम्प) योजना की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है।

यह योजना इनोवेशन को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित कर नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने व उद्योग 4.0 के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन प्रदान करेगी।

एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले आठ साल में आत्मनिर्भर भारत को एक आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह योजना 6.3 करोड़ उद्यमों को लाभान्वित करेगी। इसमें विश्व बैंक भी सहायता दे रहा है।

कौन माना जाएगा बेहद गरीब ?

विश्व बैंक समय समय पर महंगाई, जीवन यापन के खर्च में वृद्धि समेत कई मानकों के आधार पर अत्यंत गरीबी रेखा की परिभाषा में बदलाव करता रहता है। नये मानक के अनुसार अब यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 167 रुपए (2.15 डॉलर) से कम कमाता है तो वह अत्यंत गरीब माना जाएगा। इससे पहले रोज 145 रुपए तक कमाने वाले अत्यंत गरीब माने जाते थे।

विश्व बैंक ने हाल ही एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में आठ साल में गरीबी 12.3 फीसदी घटी है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। भारत ने चरम गरीबी को लगभग समाप्त कर लिया है। भारत के योजना मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 21.92 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

आदिवासी ने असंभव को किया संभव

अगर इरादे फौलादी हों तो कोई काम मुश्किल नहीं। कुछ ऐसा ही मध्यप्रदेश में सीधी जिले के बंरवंधा गांव के आदिवासी हरी सिंह गोड़ ने कर दिखाया। पहाड़ी पर कुआं खोदना आसान काम नहीं था। उसने अकेले ही चट्टान तोड़ कर 35 फीट गहरा कुआं खोद डाला। उनके परिवार ने भी इस नेक काम में उनका साथ निभाया।

करीब एक वर्ष की मेहनत के बाद जब कुएं से मीठा पानी निकला तो सभी की आंखें खुशी से झलक पड़ी। उन्हें सरकार से वनाधिकार अधिनियम के तहत बैगान पहाड़ी पर जमीन का पट्टा मिला है। वह अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहने लगा हैं। अब वहां पानी की कोई कमी नहीं है। बस्ती वाले भी खुश हैं। हरी सिंह का परिवार अब कुएं को और गहरा करने में लगा है।

सरकार लाई 'सीएम क्षेत्र विकास योजना'

राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के गांवों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी।

शुरुआती तौर पर सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा विकास कार्यों में कलक्टर की अनुशंसा पर विधायक एवं सांसद कोष का भी उपयोग किया जा सकेगा। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण सड़कें, रोशनी जैसे संबंधित कार्य और आधारभूत ढांचा विकास के अन्य काम प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

छीन रहे बच्चियों के हक का कन्यादान

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ई-मित्र संचालकों ने मिल कर कन्यादान के लाखों रुपए हड़प लिए। इसका खुलासा तब हुआ, जब लाभार्थियों की राशि उनकी बजाय ई-मित्र संचालकों के खाते में जमा पाई गई।

जैसलमेर में 288 मामलों में जांच जारी है। जिले में करीब 1.30 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। इसके बाद प्रदेशभर में मामले चिन्हित कर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि योजना में सरकार निराश्रित, निर्धन, आरक्षित व अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं की शादी में कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता देती है।

बीते ढाई साल पंचायतों के नहीं बने भवन

राज्य सरकार पंचायत पुर्नगठन के बाद बनी नई पंचायतों को भूल बैठी है। पुर्नगठन के जरिए नवंबर 2019 में सरकार ने 1455 ग्राम पंचायतों को नए नाम तो दे दिए, लेकिन तकरीबन ढाई साल के बीतने के बाद 83 प्रतिशत पंचायतों को कामकाज के लिए नए कार्यालय तक नहीं दे पाई।

परिसीमन में कुल बनाई गई 1455 नई ग्राम पंचायतों में से पंचायत राज विभाग ने 1445 के लिए नए भवनों की आवश्यकता का आकलन किया था। लेकिन 235 पंचायतों के ही नए भवन बन पाए हैं। नई बनीं 57 पंचायत समितियों के हाल अभी भी खराब हैं। सरकार इन संस्थाओं के लिए अभी भी सिर्फ भूमि ही ढूंढ रही है। इनमें से एक भी पंचायत समिति का भवन बनकर पूरा नहीं हो पाया है।

शहरों में बढ़े रोजगार पर गांव बेहाल

देश में सेवा क्षेत्र में जहां तेजी आई है वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी दर और बढ़ गई है। शहरों में रोजगार बढ़े हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है।

ग्रामीण बेरोजगारी दर जून में 8.03 प्रतिशत हो गई जो मई में 6.62 प्रतिशत थी। जबकि शहरी बेरोजगारी जून में 7.30 प्रतिशत हो गई जो एक महीने पहले 8.21 प्रतिशत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआइई) के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजगार मुहैया कराने में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है।

मध्यप्रदेश में केवल 0.5 तो छत्तीसगढ़ में केवल 1.2 प्रतिशत बेरोजगारी है। हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी है। राजस्थान में यह आंकड़ा 29.8 प्रतिशत है।

गांवों में बनाए जाएंगे खेल स्टेडियम

प्रदेश के 33 जिलों में 11 हजार 307 ग्राम पंचायत स्तर पर और करीब 352 ब्लॉक में खेल स्टेडियम तैयार होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं निखरेंगी। खेल मैदान भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की राजीव गांधी खेल अभियान योजना के तहत आने वाले खेलों के लिए बनाया जाएगा।

खेल मैदान में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, फुटबॉल, हैंडबाल, हॉकी, वालीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट आदि खेलों को शामिल किया गया है। मैदान की तैयारी की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। मैदान निर्माण पूरा होने के बाद उसके रख-रखाव एवं उपयोग की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत समिति की होगी।

जैविक खेती ने बढ़ाई रोजगार की राहें

देश में जैविक खेती का रकबा बढ़ने के साथ जैविक किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। किसान खेती में नवाचार अपना कर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इससे जैविक उत्पाद निर्यात में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश में जहां वर्ष 2017-18 में कुल 20.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती होती थी वहीं वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 38.20 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है।

जैविक खेती में पहले स्थान पर मध्यप्रदेश है। यहां बारह लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। करीब सवा चार लाख हेक्टेयर में जैविक खेती कर राजस्थान दूसरे पायदान पर है। राजस्थान ने महाराष्ट्र को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की है।

जल जीवन मिशन की कछुआ चाल

जलदाय विभाग की लापरवाही से प्रदेश में जल जीवन मिशन पिछड़ रहा है। मिशन के तहत ग्रामीण घरों तक जल कनेक्शन जारी करने में प्रदेश देश में 29 वें नंबर पर है। केंद्र सरकार की ओर से आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर हुई किरकिरी के बाद अब जलदाय विभाग के अफसर और इंजीनियर सक्रिय हो गए हैं। जल कनेक्शन के लिए बड़ी पेयजल योजनाएं तैयार की गई है।

विभाग के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में 32 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही अफसरों और इंजीनियरों ने 60 दिन में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 6 हजार से ज्यादा कनेक्शन जारी कर दिए हैं। मिशन के तहत 2024 तक 1 करोड़ 6 लाख कनेक्शन होने हैं। अभी तक 26 लाख 30 हजार कनेक्शन जारी हो चुके हैं।

मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 1900 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र से राशि जारी होने से अब प्रदेश की अनेक पंचायतों में मनरेगा के तहत स्वीकृत काम फिर से शुरू हो सकेंगे। जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी अब सामग्री मद का भुगतान होने से काम में तेजी आएगी।

ग्राम पंचायतों में स्थाई प्रकृति के विकास के काम शुरू होने से श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनका रुका हुआ भुगतान हो सकेगा। प्रदेश में मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों में तेजी आएगी जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। इससे पूर्व भी उनके प्रयासों से राजस्थान को मनरेगा के तहत केंद्र से धन राशि मिलती रही है।

पैकेटबंद चीजों से सेहत को खतरा

पैकेट बंद जंक फूड का दखल आज गांवों तक है। बच्चे इन खाद्य पदार्थों की आक्रामक विज्ञापन नीति से प्रभावित हैं। वे इनका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। इससे बच्चों में मोटापे की समस्या और उसकी वजह से वयस्क होने पर डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है।

भारतीय अभिभावक भी अब खाने-पीने की पैंकेटबंद चीजों के सेहत पर पड़ने वाले खतरे को लेकर काफी सजग हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत माता-पिता चाहते हैं कि खाने-पीने की पैकेटबंद सामग्री पर ऊपर की ओर आसानी से समझ आने वाले तरीके से चेतावनी लिखना अनिवार्य हो। पैकेट पर वसा, नमक व चीनी आदि की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485